न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 18 सन 2020
अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोहितासकुमार पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन असरजाना तसहील नोहर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 10/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 4/2 की 12.4580हैक्ट भूमि में सायल न0 1 का 1478/31145हिस्सा व सायल न0 2 का 5913/124580 हिस्सा दर्ज है।

सायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजकुंवार व रोहिताष दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम राजकुंमार व रोहितासकुमार है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , परिवार राशन कार्ड आदि सभी में सायल का नाम राजकुमार , रोहितास कुमार है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 4/2 की 12.4580हैक्ट भूमि में सायल न0 1 का 1478/31145हिस्सा व सायल न0 2 का 5913/124580 हिस्सा प्रार्थी का नाम राजकुवार के स्थान राजकुमार एवं रोहितास के स्थान पर रोहिताष कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 4/2 की 12.4580हैक्ट भूमि में सायल न0 1 का 1478/31145हिस्सा व सायल न0 2 का 5913/124580 हिस्सा दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायलान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजकुंवार व रोहिताष दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम राजकुमार व रोहितासकुमार है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, बैक पास बुक, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में सायल का नाम राजकुमार, रोहितास कुमार है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 4/2 की 12.4580हैक भूमि में सायल न0 1 का 1478/31145हिस्सा व सायल न0 2 का 5913/124580 हिस्सा दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में सायल न0 1 का नाम राजकुवार व सायल न0 2 का नाम रोहिताष दर्ज सायल का कथन है कि उसका सही नाम राजकुमार एवं रोहितास कुमार है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, बैक पास बुक, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम राजकुमार एव रोहितास कुमार दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 4/2 की 12.4580हैक भूमि में सायल न0 1 का 1478/31145हिस्सा व सायल न0 2 का 5913/124580 हिस्सा दर्ज है में सायल का नाम राजकुंवार पुत्र मनफुल के स्थान पर राजकुमार पुत्र मनफुल एवं सायल न0 2 का नाम रोहिताष पुत्र मनफुल के स्थान रोहितास कुमार पुत्र मनफुल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/09/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/136LRA/18 दिनांक :- 18/09/2020

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 18/2020 अनवानी राजकुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :- अनवान :-

1. राजकुमार पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रोहितास कुमार पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 18/2020 अनवानी राजकुमार बनाम सरकार में दिनांक 18/09/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 4/2 की 12.4580हैक भूमि में सायल न0 1 का 1478/31145हिस्सा व सायल न0 2 का 5913/124580 हिस्सा दर्ज है में सायल का नाम राजकुंवार पुत्र मनफुल के स्थान पर राजकुमार पुत्र मनफुल एवं सायल न0 2 का नाम रोहिताष पुत्र मनफुल के स्थान रोहितास कुमार पुत्र मनफुल संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner